



WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024

प्रलिस के लिये:

WIPO, [बौद्धिक संपदा](#), [राष्ट्रीय IPR \(बौद्धिक संपदा अधिकार\) नीति 2016](#), [भौगोलिक टैग](#), [कॉपीराइट](#), [मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा](#)

मेन्स के लिये:

बौद्धिक संपदा अधिकार, एक मजबूत IPR पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका और महत्त्व,

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने [बौद्धिक संपदा \(IP\)](#) क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी देश के तौर पर मजबूत स्थिति बना ली है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक (WIPI) रिपोर्ट 2024 के अनुसार पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइनों के लिये वैश्विक शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है।

- रिपोर्ट में [बौद्धिक संपदा \(IP\) फाइलिंग](#) करने संबंधी वैश्विक रुझानों को रेखांकित किया गया है, जो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद नवाचार के प्रतीक लचीलेपन को दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से **चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत** में नविसियों द्वारा संचालित थी।

WIPO क्या है?

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु की गई थी। यह 26 अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रशासन करता है और इसका मुख्यालय **जनिवा, स्वटिज़रलैंड** में है।
 - WIPO के 193 सदस्य देश हैं।
- भारत वर्ष 1975 में WIPO में शामिल हुआ। भारत IPR से संबंधित नमिनलखित महत्त्वपूर्ण WIPO-प्रशासित अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का भी सदस्य है:
 - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिये सूक्ष्मजीवों को पेटेंट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मान्यता देने के लिये **बुडापेस्ट संधि, 2001**
 - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये **पेरिस कन्वेंशन, 1998**
 - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये **बर्न कन्वेंशन, 1928**
 - पेटेंट सहयोग संधि, 1998**
 - चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड समझौते से संबंधित **प्रोटोकॉल, 2013**
 - एकीकृत सर्कटि के संबंध में **बौद्धिक संपदा पर वाशिंगटन संधि**
 - ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर **नैरोबी संधि, 1983**
 - फोनोग्राम के उत्पादकों के फोनोग्राम के अनधिकृत दोहराव के विरुद्ध संरक्षण के लिये कन्वेंशन, 1975**
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और मूव्ण दवियंगजन व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित कार्यों तक पहुँच को सुगम बनाने के लिये **मारकेश संधि, 2016**।
- डब्ल्यूआईपीओ द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें:**
 - [वैश्विक नवाचार सूचकांक](#)
 - विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक
 - WIPO टेक्नोलॉजी ट्रेड्स रिपोर्ट

विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, 2024 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है?

- **पेटेंट में वृद्धि:** भारत ने वर्ष 2023 में शीर्ष 20 देशों में पेटेंट आवेदनों में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की, जोहोहरे अंकों की वृद्धि का लगातार पाँचवाँ वर्ष है। पेटेंट आवेदनों के लिये भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है।
- **औद्योगिक डिज़ाइन:** वर्ष 2018 और 2023 के बीच पेटेंट और औद्योगिक डिज़ाइन आवेदन दोगुने से अधिक हो गए।
 - शीर्ष तीन क्षेत्र- वस्त्र एवं सहायक उपकरण, उपकरण एवं मशीनें, तथा स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन - सभी डिज़ाइन फाइलिंग का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।
- **पेटेंट-जीडीपी अनुपात:** भारत के पेटेंट-जीडीपी अनुपात, जो पेटेंट गतिविधि के आर्थिक प्रभाव का एक माप है, में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो आर्थिक वसति के साथ-साथ IP गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है।
- **ट्रेडमार्क:** भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, जिसमें लगभग 90% फाइलिंग घरेलू संस्थाओं द्वारा की गई है। प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य (21.9%), कृषि (15.3%) और वस्त्र (12.8%) शामिल हैं।
 - भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय विश्व में सक्रिय पंजीकरणों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या रखता है।
- **भौगोलिक संकेत:**
 - भारत (530) में कम GI लागू हैं, क्योंकि इसके GI को अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त है। इसके विपरीत चीन, जर्मनी, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देशों में उनके क्षेत्रों में GI लागू होने की संख्या काफी अधिक है।
 - हंगरी और चेक गणराज्य लसिबन प्रणाली के पक्षकार हैं।
 - ब्राज़ील (92.4%), चीन (96.2%), भारत (93.6%), तुर्की (99.8%), और वियतनाम (91.5%) में 90% से अधिक GI राष्ट्रीय GI थे।

IP, पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI और औद्योगिक डिज़ाइन क्या हैं?

- **बौद्धिक संपदा:** इसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएँ, मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं।
- **बौद्धिक संपदा के महत्त्व को पहली बार औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिये पेरिस कन्वेंशन (1883) और साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये बर्न कन्वेंशन (1886) में मान्यता दी गई थी। दोनों संधियों को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रशासित किया जाता है।**
- इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद-27 में उल्लिखित किया गया।

पेटेंट:

- पेटेंट किसी आविष्कार के लिये दिया गया एक विशेष अधिकार है। यह आविष्कारकों को उनके आविष्कारों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
 - पेटेंटधारी को उसके आविष्कार पर एक सीमिति समयावधि के लिये उसके आविष्कार को पूर्णतया व्यक्त करने के बाद प्राप्त होता है जिससे दूसरों को उस पेटेंटकृत उत्पाद या प्रक्रिया के बनाने, इस्तेमाल करने, बिक्री करने, आयात करने या उसकी सहमति के बिना इन उद्देश्यों से उसका उत्पादन करने से रोका जा सकता है।

ट्रेडमार्क:

- ट्रेडमार्क एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है।
 - ट्रेडमार्क पंजीकरण, पंजीकृत ट्रेडमार्क के उपयोग के लिये एक विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि ट्रेडमार्क का उपयोग विशेष रूप से उसके ऑनर/स्वामी द्वारा किया जा सकता है, या भुगतान के बदले में उपयोग हेतु किसी अन्य पक्ष को लाइसेंस दिया जा सकता है।


औद्योगिक डिज़ाइन:

- औद्योगिक डिज़ाइन से तात्पर्य किसी उत्पाद के सजावटी या सौंदर्यपरक पहलुओं से है, जिसमें आकार और वन्यास जैसी 3D विशेषताएँ या चित्र, पैटर्न, रेखाएँ और रंग जैसी 2D तत्त्व शामिल हैं।
 - पंजीकृत औद्योगिक डिज़ाइन के ऑनर को यह अधिकार है कि वह तीसरे पक्ष को ऐसी वस्तुओं के निर्माण, बिक्री या आयात से रोके, जिनमें ऐसा डिज़ाइन हो, जो संरक्षित डिज़ाइन की प्रतिलिपि हो, या वस्तुतः प्रतिलिपि हो, जब ऐसे कार्य वाणज्यिक प्रयोजनों के लिये किये जाते हैं।

भौगोलिक संकेत:

- भौगोलिक संकेत (GI) एक ऐसा संकेतक है जो किसी वस्तु को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के रूप में पहचान प्रदान करता है तथा उसमें एक निश्चित गुणवत्ता, प्रतिलिपि या अन्य विशेषता होती है जो अनिवार्यतः उस भौगोलिक उत्पत्ति के लिये ज़िम्मेदार होती है।

5.1. Geographical indications in force for selected national and regional authorities, 2023



नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिये भारत की पहल क्या हैं?

■ वधायी रुपरेखा:

- [कॉपीराइट अधिनियम, 1957](#)
 - डज़िाइन अधिनियम, 2000
- [वसतुओं के भौगोलिक संकेत \(पंजीकरण और संरक्षण\) अधिनियम, 1999](#)
- [पेटेंट अधिनियम, 1970](#)
- [पौधा कस्मि और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001](#)
- [व्यापार चहिन अधिनियम, 1999](#)
- [राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार \(IPR\) नीति, 2016](#)

■ सरकारी पहल:

- [मेक इन इंडिया कार्यक्रम](#)
 - [राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मशिन \(NIPAM\)](#)
 - [बौद्धिक संपदा साकषरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम \(KAPILA\)](#)

■ वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में स्थान:

- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39 वें स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर था।
- भारत वर्ष 2021 में 46 वें स्थान पर और वर्ष 2015 में 81 वें स्थान पर था।

दृष्टि
The Vision

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 (पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:
 - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:
 - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- मरिक्श VIP समझौता, 2016:
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को अनुच्छेद 27 (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:
 - आदर्श वाक्य: "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
 - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
 - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
 - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष



भारत की बौद्धिक संपदा वृद्धि के सामाजिक-आर्थिक नहितार्थ क्या हैं?

- आर्थिक सशक्तीकरण: बढ़ी हुई IP फाइलिंग (IP Filings) से नवाचारों की सुरक्षा के माध्यम से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मलि सकता है, जिससे प्रतस्पर्द्धात्मकता और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।
- रोज़गार सृजन: IP क्षेत्र के विकास से बौद्धिक संपदा से संबंधित अनुसंधान, विकास और कानूनी सेवाओं में नए रोज़गार के अवसर पैदा होने की

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. वैश्वीकृत संसार में बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर वभिदन कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wipo-world-intellectual-property-indicators-2024-report>

